

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर  
-: राजस्थान सरकार:-

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या :-

बाल कृष्ण तिवारी (आर०ए०एस०)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर  
97 / 2022

उनवान प्रकरण

विश्वबन्धु गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी धौलपुर  
राज०

.....आवेदक

बनाम

1. राकेश गुप्ता (मालिक / विक्रेता) पुत्र श्री रमेशचंद गुप्ता, मैसर्स: बॉबी डेयरी, बिरजापाडा, पुराना शहर, निवासी बिरजापाडा पुराना शहर, धौलपुर ।

.....अभियुक्त

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51  
एफ०एस०एस० एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :-

आवेदक की ओर से  
अभियुक्त की ओर से

:- श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
:- स्वयं (असालतन)

निर्णय

दिनांक - 27.09.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री विश्वबन्धु गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51 एफ०एस०एस० एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 18.05.2022 को सुबह 11.30 बजे मैसर्स: बॉबी डेयरी, बिरजापाडा, पुराना शहर, निवासी बिरजापाडा पुराना शहर, धौलपुर जिला धौलपुर पर पहुँचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे, तो उसने अपना नाम श्री राकेश गुप्ता (मालिक / विक्रेता) पुत्र श्री रमेशचंद गुप्ता, मैसर्स: बॉबी डेयरी, बिरजापाडा, पुराना शहर, निवासी बिरजापाडा पुराना शहर, धौलपुर होना जाहिर किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र संख्या 22214065000105 होना जाहिर किया ।



राजस्थान सरकार  
मालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं० 07/2022 सरकार बनाम राकेश गुप्ता

(2)

उक्त निरीक्षण के दौरान पाया कि उक्त विक्रेता की डेयरी पर एक मगाने में लगभग 15 किलो पनीर आमजन को विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त पनीर में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त पनीर का नमूना वास्ते जाँच देने हेतु कहां विक्रेता को प्रपत्र 5 (ए) के देकर एक प्रति प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं मवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैने भी हस्ताक्षर किये जो पञ्चावली में संलग्न है। विक्रेता की उक्त 15 किलो पनीर में से 01 किलो पनीर वास्ते नमूना जाँच खरीद जिराकी कीमत विक्रेता को रुपये 280/- (दो सौ अस्सी रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता मवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैने भी हस्ताक्षर किये। खरीद शुदा 01 किलो पनीर चार नमूना भाग तैयार किया जिस पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी-2452 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा मवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप नं० डी-2452 निशमानुसार चारों नमूना भागों को चिपकाकर विक्रेता एवं मवाहान के हस्ताक्षर कराये गये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म VI की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना गौके पर सी बन्द किये। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या VI की एक प्रति चिपकाकर एवं सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक 209 दिनांक 01.06.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट एलएस/616/एक्ट/2022/616 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया पनीर अवमानक (Substandard) प्रकृति का पाया गया। उक्त कंस में पनीर अवमानक (Substandard) का विक्रय करके विक्रेता श्री राकेश गुप्ता (मालिक/विक्रेता) पुत्र श्री रमेशचंद गुप्ता, मैसर्स: बॉबी डेयरी, बिरजापाडा, पुराना शहर, निवासी बिरजापाडा पुराना शहर, धौलपुर जिला धौलपुर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो सवरेटेण्डर्ड प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। अतः प्रकरण में उचित जुर्माना करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुये। अप्रार्थी को आरोप पढ़कर सुनाया गया। अप्रार्थी ने कहा कि अप्रार्थी कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने से मना किया तथा अपना जुर्म स्वीकार करते हुये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण को निस्तारण करने की प्रार्थना कर अपनी लिखित सहमति व्यक्त की।



-: राजस्थान सरकार -:

**न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर**

**एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं० 87/2022 सरकार बनाम राकेश गुप्ता**

(3)

प्रकरण में पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी ने बहस के दौरान अपने कथनों में अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की सहमति व्यक्त की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त पनीर अवमानक (Substandard) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी उक्त पनीर अवमानक (Substandard) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

हालांकि उक्त प्रकरण में The Food Safety and Standards Act, 2006 Ruls 51 एवं विनियम-2011 के उल्लंघन की दशा में अवमानक (Substandard) में राशि पाँच लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक जुर्माना / दण्ड / शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है, तदापि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अप्रार्थी श्री राकेश गुप्ता (मालिक/विक्रेता) पुत्र श्री रमेशचंद गुप्ता, मैसर्स: बॉबी डेयरी, बिरजापाडा, पुराना शहर, निवासी बिरजापाडा पुराना शहर, धौलपुर जिला धौलपुर पर सहमति से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत राशि 5000/- रुपये (पाँच हजार रुपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट कार्यालय, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*a*  
(बाल कृष्ण तिवारी)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर (राज०)